



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 416]
No. 416]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 9, 1981/भाद्र 18, 1903
NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 9, 1981/BHADRA 18, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

मंत्रिमंडल सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 1981

का.आ. 691(अ).—राष्ट्रपति सविधान के अनुच्छेद 77 के खंड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य-आवंटन) नियम, 1961 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम भारत सरकार (कार्य-आवंटन) (एक सौ इक्यावनवीं संशोधन) नियम, 1981 होगा।

(2) ये तुरन्त प्रकृत होंगे।

2. भारत सरकार (कार्य-आवंटन) नियम, 1961 में, द्वितीय अनुसूची में,—

(1) “कृषि मंत्रालय” शीर्षक के अंतर्गत, “क. कृषि और सहकारिता विभाग” उप-शीर्षक में, प्रविष्टि 11 के परचात् निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखी जाएगी, अर्थात् :—

“12. प्राकृतिक विपत्तियों के कारण फसलों को हुए नुकसान और पशुधन को हुई हानि संबंधी मामले।

13. महामारियों से भिन्न, प्राकृतिक विपत्तियों के कारण आवश्यक हुए राहत उपायों का समन्वय।

14. महामारियों से भिन्न, प्राकृतिक विपत्तियों के कारण मानव जीवन और सम्पत्ति को होने वाली हानि से संबंधित मामले।

15. भारतीय जन दुर्भिक्ष न्यास।”;

(2) “गृह मंत्रालय” शीर्षक के अंतर्गत,—

(क) उप-शीर्षक “भाग 1—संघीय विषय” और उसके अंतर्गत प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित उप-शीर्षक और प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

“भाग 1क—संघीय और समवर्ती विषय

99ख आवश्यक सेवाएं अनुरक्षण अध्यादेश, 1981 के अंतर्गत अधिसूचनाएं और आदेश जारी करना।”;

(ख) उप-शीर्षक “भाग 3—संघ राज्य क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त कार्य” के अंतर्गत,—

(1) मद “(1)” के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :—

“(1) अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दादरा और

नागर हवेली, दिल्ली, गोवा, दमण और दीव, मिजोरम तथा पण्डिचेरी के संघ राज्य क्षेत्रों के लिए”;

(2) मद “(3)” के स्थान पर, निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :—

“(3) लक्षद्वीप के संघ राज्य क्षेत्र के लिए—”;

(3) “ग्रामीण पुनर्निर्माण (ग्रामपुनर्निर्माण) शीर्षक के अंतर्गत, प्रविष्टि 14, 15, 16 और 17 का लोप किया जाएगा।

नीलम संजीव रेड्डी, राष्ट्रपति

[नं. 74/3/17/81-संवि.]

प्रम कुमार, अवर सचिव

CABINET SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th September, 1981

S.O. 691(E).—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely :—

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) (One Hundred and Fifty-first Amendment) Rules, 1981.

(2) They shall come into force at once.

2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, in the Second Schedule,—

(i) under the heading “MINISTRY OF AGRICULTURE (KRISHI MANTRALAYA)”, under the sub-heading “A. DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND

COOPERATION (KRISHI AUR SAHKARITA VIBHAG)”, after entry 11, the following entries shall be inserted, namely :—

“12. Matters relating to damage to crops and loss of live-stock due to natural calamities.

13. Co-ordination of relief measures necessitated by natural calamities, other than epidemics.

14. Matters relating to loss of human life and property due to all natural calamities, other than epidemics.

15. Indian Peoples' Famine Trust.”;

(ii) Under the heading “MINISTRY OF HOME AFFAIRS (GRIH MANTRALAYA)”,—

(a) after the sub-heading “Part I-Union Subjects” and the entries thereunder, the following sub-heading and entry shall be inserted, namely :—

“Part IA-Union and Concurrent Subjects.

99B. Issue of Notifications and Orders under the Essential Services Maintenance Ordinance, 1981.”;

(b) under the sub-heading “Part III- Additional Business for Union Territories”,—

(i) for item “(i)”, the following item shall be substituted, namely :—

“(i) For the Union Territories of Arunachal Pradesh, Chandigarh, Dadra and Nagar Haveli, Delhi, Goa, Daman and Diu, Mizoram and Pondicherry.”;

(ii) for item “(iii)”, the following item shall be substituted, namely :—

“(iii) For the Union Territory of Lakshadweep—”;

(iii) under the heading “MINISTRY OF RURAL RECONSTRUCTION (GRAM PUNARNIRMAN MANTRALAYA)”, entries 14, 15, 16 and 17 shall be omitted.

N. SANJIVA REDDY, President.

[No. 74/3/17/81-Cab.]

PREM KUMAR, Additional Secy.